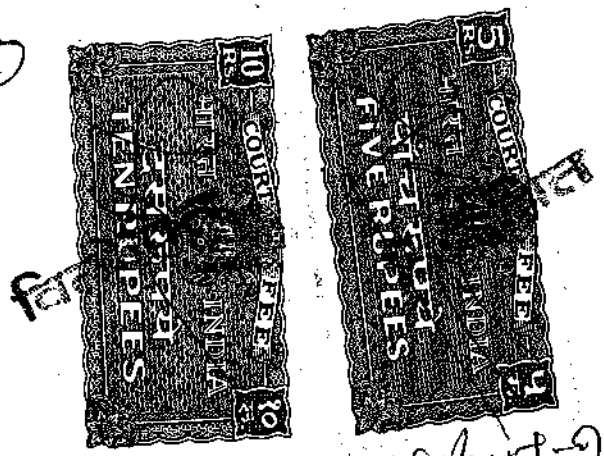

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र0क्र0 12004 पुनरीक्षण

1- राजेन्द्र शर्मा } पुत्रगण रामभरोसी
2- रामप्रकाश शर्मा } उर्फ भरोसी शर्मा
3- गोपाल शर्मा } निवासीगण ग्राम देवरी
तहसील एवं जिला मुरैना (म0प्र0)-आवेदकगण

विरुद्ध

1- गिर्राज शर्मा } पुत्रगण स्व0 रामचरणलाल
2- गोकुलदास शर्मा } शर्मा निवासीगण 45:49
3- गोपालदास शर्मा } मोती बिल्डिंग दुकान नं0
4- नरेन्द्र शर्मा } 4 तीसरी मंजिल अंसारी
लेन मुम्बई (महाराष्ट्र)
5- श्रीमती मीनादेवी पुत्री स्व0 रामचरणलाल शर्मा पत्नी शिवशंकर शर्मा निवासी बोरीबंदर मुम्बई (महाराष्ट्र) ----- अनावेदकगण

अपर आयुक्त चम्बल संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 82/2000-2001 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-8-2004 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं :-

(1) यह कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के विवादित आदेश अवैध,

(2)

XXXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1595—दो/2004 निगरानी जिला मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव उनके अभिभाषकों के हस्ताक्षर
10-6-16	यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 82/2000—01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26—8—2004 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सार यह है कि ग्राम हिंगोना खुर्द की आराजी कमांक 669, 671, 683/1, 683/2, 790 के रामचरणलाल हिस्सा 1/2 के सहभागी होकर भूमिस्वामी थे, जिसके हिस्सा सुधार हेतु रामचरण एंव अन्य सहखातेदार के बीच इन्द्राज दुरूस्ती का दावा चलने पर प्रकरण कमांक 1/76—77 रिव्यू में पारित आदेश दिनांक 30—8—77 से इन्द्राज दुरूस्ती हुई। रामचरण का स्वर्गवास 4—11—95 को हुआ। रामचरण के उत्तराधिकारियों व्दारा बताया गया कि जब पिता की मृत्यु के वाद नामान्तरण कार्यवाही हेतु वह मुरैना आये तब मालूम चला कि उनके पिता के नाम कोई भूमि नहीं है वल्कि विकय पत्र के आधार पर राजेन्द्र शर्मा वगैरह ने नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 21 पर आदेश दिनांक 7—1—1993 से नामान्तरण करा लिया है। इस आदेश के विरूद्व गिर्राज शर्मा आदि ने अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के समक्ष अपील कमांक 19/1995—96 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 29—12—2000 से नामान्तरण आदेश दिनांक 7—1—1993 निरस्त किया गया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के आदेश दिनांक 29—12—2000 के विरूद्व अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण	

कमांक 78/2000–01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31–3–01 से निगरानी निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 82/2000–01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–8–2004 से निगरानी निरस्त की गई । इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में दर्शाए गए आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने गये। अनावेदकगण को बार–बार सूचना पत्र भेजे जाने के वाद सम्यक निर्वहन की स्थिति न पाकर रजिस्टर्ड डाक से सूचना पत्र भेजे गये, किन्तु वह अनुपस्थित हैं । अतः उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही का निर्णय लिया जाकर यह आदेश पारित किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ग्राम हिंगोना खुर्द की आराजी कमांक 669, 671, 683/1, 683/2, 790 के रामचरणलाल हिस्सा 1/2 के सहभागीदार रहे हैं , जिनकी मृत्यु 4–11–95 को हुई है। प्रकरण में दिये गये अनावेदकगण के पते से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदकगण ग्राम हिंगोना में अथवा मुरैना जिले में निवास नहीं करते हैं अपितु मुम्बई जैसे महानगर के निवासी है जिसके कारण संभव है कि उन्हें सुने बिना उनके पिता के नाम की भूमि पर नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 21 पर आदेश दिनांक 7–1–1993 से आवेदगण का नामान्तरण हुआ हो और हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई करने हेतु ही अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दि0 29–12–2000 से प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं पाये जाने से अपर कलेक्टर मुरैना

XXXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1595–दो/2004 निगरानी जिला मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं उनके अभिभाषकों के हस्ताक्षर

ने आदेश दिनांक 31–3–2001 से एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 82/2000–01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–8–2004 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। वैसे भी आवेदकगण के पास तहसील न्यायालय में सुनवाई के दौरान लेखी एंव मौखिकरूप से पक्ष रखने वावत् उपचार प्राप्त है एंव तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष भी समवर्ती होने के आधार पर निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 82/2000–01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–8–2004 उचित पाये जाने से स्थिर रखा जाता है।

सदस्य